बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

–:::स्थायी आदेश:::–

संख्या–15/बि0स0से0–18–04/2015 सा0प्र0 77 /पटना–15, दिनांक:– 18.2.16.

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन बिहार सचिवालय सेवा के कर्मियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अनुमति, सेवान्त लाभ एवं पासपोर्ट बनवाने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने आदि हेतु प्रायः आवेदन सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को अग्रसारित किया जाता है। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा विभिन्न संकल्पों/नियमावली द्वारा इस हेतु शक्तियाँ प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासम विभाग, बिहार, पटना में अन्तर्निहित है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के कार्यपालिका नियमावली के नियम–21 में भी विभिन्न कार्यो हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है।

2. सम्यक् विचारोपरांत, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन बिहार सचिवालय सेवा के कर्मियों हेतु उक्त सभी प्रकार के अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु संवर्ग नियंत्री प्रशाखा के वरीय प्रभारी पदाधिकारी (पदेन) को प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में अन्तर्निहित शक्तियाँ प्रत्यायोजित की जाती है।

3. एतद् विषयक पूर्व निर्गत सभी स्थायी आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेगें।

4. यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

5. उपर्युक्त में प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

(राजेन्द्र राम) 17/2/2016
सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप संख्या–15/बि0स0से0–18–04/2015 सा0प्र0 77 /पटना–15, दिनांक:– 18.2.16.

प्रतिलिपि:– सभी विभाग के प्रधान सचिव/ सचिव/ विभागाध्यक्ष, बिहार, पटना/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/पुलिस महानिदेशक–सह–महानिरीक्षक, बिहार, पटना/सभी आयोगों एवं प्राधिकारों के सचिव, बिहार, पटना/महाधिवक्ता कार्यालय, बिहार, पटना/ मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/2/2016
सरकार के अपर सचिव

Path-E:\PK\Ashok-15\office order.docx